राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1 (ए)161/संस्था/बीमा/2023/ दिनांक : 10-08-2023

–:आदेश:– 162

राजस्थान सेवा नियम, 1951 खण्ड – प्रथम के भाग – 4 अध्याय – 10 एवं 11 में अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सामान्य शर्तो का उल्लेख किया गया है। प्रायः यह देखा गया है कि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही आकस्मिक/उपार्जित अवकाश पर प्रस्थान कर लिया जाता है अथवा अवकाश का उपभोग किया जाकर कार्य पर लौटने पर अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। यह नियम/आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा ऐसी स्थिति राजकार्य के सुगमता एवं कार्यपद्धति से निस्तारण करने में आकस्मिक रूकावट उत्पन्न करती हैं।

अतः विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86 एवं 91 तथा वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17.02.2012 की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

यह आदेश इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 181 दिनांक 24.07.2019 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

क्रमांक : एफ.1 (ए)161/संस्था/बीमा/2023/ 3413-63 दिनांक : 10-08-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/परियोजना/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/आरजीएचएस/ एमसीडीबीबाई, जिला कार्यालय राजस्थान, को पालनार्थ।
2. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, राजस्थान, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/परियोजना/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/आरजीएचएस/ एमसीडीबीबाई/जिला कार्यालय राजस्थान, को भेजकार लेख है कि उक्त आदेश की प्रति स्वयं के स्तर पर सम्बन्धित कार्मिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
4. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड, मुख्यालय

(हेम पुष्पा शर्मा)
निदेशक

Signature valid
Digitally signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2023.08.10 10:28:39 IST
Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\4314536_2741716967306939205.docx

RajKaj Ref No. : 4314536